Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of State of Goa Bill, 2024

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, I move:

> ?That the Bill for enabling reservation of seats in accordance with article 332 of the Constitution for effective democratic participation of Members of Scheduled Tribes and to provide for the readjustment of seats in the Legislative Assembly of the State of Goa, in so far as such readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of the Scheduled Tribes in the State of Goa and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ब्रीफ में इस बिल के बारे में बताना चाहता हूं । अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान किया गया है । अनुच्छेद 332 के अनुसार सीटों के आरक्षण को समर्थ बनाने और गोवा राज्य की विधान सभा में सीटों के पुन: समायोजन का उपबंध करने के लिए गोवा राज्य के विधान सभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, 2024 नामक एक विधेयक, आज विचार और पारित करने का प्रस्ताव मैंने किया है ।

इसका बहुत ही लिमिटेड परपज है । वर्ष 2002 में वहां परिसीमन हुआ । वहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 566 थी । गोवा असेंबली ने संविधान अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम, 2003 पास किया । उसके अंतर्गत गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में तीन नए समुदाय कुनबी, गावड़ा और वेलिप

को शामिल कर लिया गया, तो एसटी की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई । तब तक डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी । इसलिए राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वहां एसटी पॉपुलेशन जो 566 थी, वह अब 1,49,275 यानी करीब डेढ़ लाख हो गई है । इसलिए हम यह बिल लेकर आए हैं, ताकि जो अनुसूचित जनजाति के लोग गोवा में रहते हैं, वे गोवा असेम्बली में रीप्रेंजेंट कर सकें । इस लिमिटेड परपज के लिए मैं यह बिल लेकर आपके समक्ष आया हूं ।

चर्चा के बाद जो भी सुझाव आएंगे, आपकी अनुमति से मैं उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार स्थानों का आरक्षण करने में समर्थ होने और गोवा राज्य की विधान सभा में स्थानों का पुन: समायोजन जहां तक ऐसा समायोजन गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने से आवश्यक हो गया है, के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । ?

श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस ।

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): *Thank you honourable Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on a very important bill today."*

Thank you Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on this very important Bill concerning the representation of the tribal community in Goa.

<u>16.18 hrs</u> (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair)*

Madam, Chairperson, when we make a mere mention of Goa, it invokes a picture of natural beauty, clean environment, beautiful rivers, the lush green fields, the rich forests, the tall mountains and the ever beautiful beaches where they descend to play with the subtle ripples of the waves. But when did this beautiful land come into existence? It was 500 years back or 1000 years back. Traditional folklore in the word of mouth traces the origin to over 6000 years and that is where the first footprint of a tribal community was found.

Madam, the tribal community in Goa awaits with great anxiety as we the elected representatives have gathered to decide the future of our tribal community in Goa. Who are the tribal communities of Goa?

Our Honourable Minister has stated that these 3 communities were added in 2001, it is not so, these communities have been there for thousands of years.

Many of our hon. MPs have asked me with surprise about the existence of tribal communities in Goa. Well. As per a research paper submitted to the Goa university in July, 2015, the Goan tribes consisting of the Gawda, Kunbi and Velip community were the first settlers in Goa belonging to the Proto-Austroloid group popularly known in Goa as *moolgoankar* which means indigenous people.

It is pertinent to note that the tribal ministerial portfolio in Goa was first declared in 2010 under the Congress Government and a

separate budget was approved for tribal welfare and development.

Madam Chairperson, I also want to make it clear that the Congress Party has been trying to give justice to the tribal community for many years. In 2013, based on the promise of the then Chairperson of UPA, Shrimati Sonia Gandhi, the then UPA Government under Dr. Manmohan Singh, introduced a Bill in Rajya Sabha on 26th February, 2013. (They have delayed that bill and our community didn't not the justice they deserve).

I would fail in my duties if I do not take the name of late Parliamentarian Shri Shantaram Naik, who on 4th August 2016 raised a demand in the Rajya Sabha for reservation of seats in the Assembly for tribal community of Goa. On 10th December 2021, our leader Shrimati Priyanka Gandhiji came to Goa. She went to Quepe. She spent an evening with the tribal community, and promised them that the Congress Party will fight the battle for reservation. It is a great historical moment for me personally to be a Member of the 18th Lok Sabha to push for the rights of a tribal community in Goa.

Madam Chairperson, on behalf of the tribal community of Goa, I extend an invitation to all my seniors, and my colleagues in this great temple of democracy to visit my State, meet our tribal community, and have a meal cooked by them. Their cuisine is unmatchable, blended in flavours of the forest produce, the real organic vegetables, fruits plucked from the forest trees, and the natural nuts and berries. If one participates or even visits the

home of a Hindu brethren in Goa during the Ganesh Chaturthi festival, one can witness the rare edible fruits, herbs, creepers, root leaves from a rich forest as part of the traditional Matoli. These are the produces of the forest that have been preserved by a tribal community.

Today, as we sit in this temple of democracy and debate on deciding on the Bill that will benefit the tribal community in Goa, I would like to bring to the notice of honourable Members of Parliament that a tribal community has their own decision-making system going back to thousands of years where the village elder or the village headman known as the *budhwant* or *gaonkar* would sit and take collective decision only after listening to the views of the entire tribal community. Similarly, there was a system called as Bara-jan, meaning 12 wise men who would assemble together and discuss and finalise various critical issues affecting the respective villages and areas. If we superimpose that system, Madam, we too are following a similar system wherein all representing our particular States or areas; we take decision by debating and discussing before arriving at a suitable decision.

They did it thousands of years before us, and sadly we are today discussing to give rights to our tribal community in Goa. Today, what we see in Goa, be it the roads, the bunds along the backwaters, the planting of mangroves along the coast, the terrace farming, the cashew plantation, the wells, the houses, the compound walls, etc., are the work of the highly skilled members of the tribal community in Goa. Shifting cultivation in the forest is a skilled practice by the tribal community.

I also want to bring to the notice of the hon. Members of Parliament from Jharkhand and also from Bihar that prior creation of Jharkhand, the members of the tribal community of Goa, who were famed for their skills in building of roads and in construction of compound walls and buildings, were specifically taken to Jamshedpur where they played a critical role in the construction of roads and other infrastructure in Jamshedpur.

Madam, the Bill that has been introduced proposes a readjustment in the representation of Scheduled Tribes in Assembly constituencies of the State of Goa. The Goa State Assembly presently does not have any reserved seat for Schedule Tribes and has only one reserved seat for the Scheduled Castes. The proposed amendments are aimed to address the disparity in the representation of Scheduled Tribes in the State Assembly as it is currently disproportionate to the Scheduled Tribes population in the State. Since the delimitation exercise in 2002, the population of Scheduled Tribes has increased with the recognition of three more tribes.

In Goa, the delimitation was conducted in 2002 based on data gathered through the 2001 Census, as per which the Minister rightfully mentioned that only 566 individuals belong to Scheduled Tribes. As a result, the Scheduled Tribes in Goa were not given a Constitutional mandated reservation in the legislature. The proposed Bill empowers the Census Commissioner to notify the population of STs in Goa based on which the Election Commission will amend the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order 2008 to make way for ST reservation in the 40-Member Assembly by taking into

consideration the revised population. This is where the doubt arises about the real intention of bringing in the Bill. Will our community in Goa get representation as soon as possible or will there be endless delay?

Madam Chairperson, for decades we have delayed in giving the legitimate rights to our tribal community in Goa. Let us not waste any more time in deciding on this very important matter. I hope that the Government does not play with words, jargons and legal terms to delay the passing of the Bill.

Thank you, Jai Hind, Jai Goa.

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल एसटी रिजर्वेशन (गोवा) पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह बिल मेरे लिए इसलिए भी विशेष है, क्योंकि मैं खुद भी आदिवासी समुदाय से आता हूं । जब से भारत को आजादी मिली है, तब से आदिवासी समुदाय को हमेशा कांग्रेस ने भटकाने का काम किया है । केवल विरोध, विरोध, विरोध और आंदोलन पर ले गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का विकास नहीं किया । वर्ष 1998 तक जब पूरे भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा थी, तब भी आदिवासियों के लिए अलग से मंत्रालय नहीं था । होम डिपार्टमेंट में होम सेक्रेट्री छोटे से ऑफिस में पूरे आदिवासी समाज के कल्याण की योजना बना रहे थे। हमारे स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 1998 में अलग से एसटी मंत्रालय का गठन किया, ताकि जिसकी वजह से एसटी के लिए खास और विशेष योजनाएं बन सकें, स्कीम्स बन सकें, पॉलिसीज बन सकें तथा उनको इम्पावर कर सकें । वैसे ही पहले एससी व एसटी कमीशन भी एक था, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एसटी की एट्रोसिटी अलग होती है और एससी की एट्रोसिटी अलग होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी उसकी चिंता नहीं की और एक ही कमीशन रखा था ।

महोदया, स्व.अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने अलग से एसटी कमीशन का गठन करने का भी काम किया । खासकर, जो हमारा 80 प्रतिशत आदिवासी समुदाय रूरल एरिया में रहता है, गांवों में रहता है । उनको सिटी की तरफ माइग्रेशन, पलायन करना पड़ता था । उसका मुख्य कारण था कि वहां पर पढ़ने की अच्छी सुविधा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उसके लिए काम नहीं किया । हमारे स्व.अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 1998 में एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, विशेष रूप से हमारे आदिवासी बच्चों के लिए खोले और वर्ष 1998 से वर्ष 2004 तक 100 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया था । वर्ष 2004 से 2014 तक, जब कांग्रेस का यूपीए रूल था, तब एक भी एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल उसने नहीं बनवाए । जो आदिवासी समाज के लिए हमेशा काम करते हैं, ऐसा बोलने वाले लोगों ने एक भी एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल नहीं बनवाया । हमारे मोदी जी, जब वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल के लिए विशेष फंड, बजट दिया, ध्यान दिया, फोकस दिया, जिसके कारण 100 से लेकर आज पूरे भारत में आज 1 हजार से ज्यादा एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाए जा सके ।

जब हमारा गुजरात राज्य महाराष्ट्र से वर्ष 1960 में अलग हुआ, तब उमरगाम से अम्बाजी जो हमारी पूरी आदिवासी पट्टी है, उसमें सिर्फ कांग्रेस ने 45 साल राज किया, तो कुछ सब-स्टेशन लगाए थे। उसके कारण पूरे उमरगाम से अम्बा जी तक हमारा आदिवासी समुदाय अंधकार में रहा । वे दीया तले रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी वहां पर बिजली देने का काम नहीं किया । वर्ष 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने ज्योतिग्राम योजना मेरे वलसाड लोकसभा क्षेत्र से चालू की और आज 24 घंटे और 365 दिन बिजली देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है । उमरगाम से अम्बाजी तक जो हमारा पूरा आदिवासी पट्टा है, वहां पर हजार से ज्यादा सब-स्टेशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है । वैसे ही, जो उमरगाम से अम्बा जी पट्टी थी, वहां पर कोई भी मेडिकल स्कूल या कॉलेज नहीं

था और न ही साइंस के कॉलेज या स्कूल्स थे। इस कारण हमारे आदिवासी समाज के बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल स्ट्रीम में नहीं जा पाते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री नरेंद्र मोदी, जब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने मेडिकल स्कूल और साइंस स्कूल खोलने का काम किया ।

महोदया, जब कांग्रेस ने 45 साल गुजरात पर शासन किया, तब कुछ चंद हजार करोड़ रुपये ही हमारे आदिवासी समुदाय के लिए दिए । हमारे नरेंद्र मोदी जी जब वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री बने, तब 15 हजार करोड़ का बजट दिया और 20 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना में 45 हजार करोड़ का बजट दिया और संघ ने 60 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया । ?(व्यवधान) वर्ष 2023 में आदिवासी समुदाय के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने किया है । ? (व्यवधान) उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब वर्ष 2014 तक केवल 25 हजार करोड़ रुपये का बजट हमारे आदिवासी समुदाय के लिए था, जो आज बढ़कर वर्ष 2024 में एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये का बजट करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है ।

महोदया, सिकल सेल हमारे आदिवासी समाज में बहुत बड़ी समस्या है । इसकी वजह से कई लोगों ने जान गंवाई है । मैंने खुद भी अपने परिवार में अपने बड़े भाई को सिकल सेल के कारण खोया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी सिकल सेल की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया है । वर्ष 2023 में जब बजट पेश हुआ, तो सिकल सेल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का बजट देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है । 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग चालू की है और 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग खत्म हो चुकी है । वैसे ही स्टैंड-अप-इंडिया स्कीम के तहत पूरे एसटी, एससी और वूमेन एंटरप्रेन्योर्स को 33 हजार करोड़ रुपये देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है । हमारे आदिवासी समुदाय में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े-छोटे उद्योग खोलने में सक्षम थे, लेकिन उनके लिए कांग्रेस ने कोई विशेष फंड नहीं दिया था । नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खास वीसी फंड भी हमारे जनजाति समुदाय के लिए दिया है ।

हमारे आदिवासी समाज में जो आदिम लोग थे, सबसे पिछड़े, बैकवर्ड और विकास से वंचित रहे समुदाय के लिए भी कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिम लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट दिया। उनके लिए अच्छा घर, मकान, शौचालय और साथ में ब्रिज बनाने का काम भी उन्होंने किया। जब भी हम लोग आजादी का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमेशा एक ही परिवार का नाम आता है कि उन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया। आजादी के लिए सभी समाज ने बलिदान दिया, तब जाकर हमें आजादी मिली थी। उसमें हमारा आदिवासी समाज भी एकदम मुखर था, चाहे वह भगवान बिरसा मुंडा हों, तांत्या मामा भील हों, थलाक्कल चंदू हों या तिलका मांझी हों। मानगढ़ जहां एक साथ हजारों आदिवासियों को मारने का काम अंग्रेजों ने किया था, वह कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, तो पूरे साल उनको आजादी के अमृत महोत्सव में एक ट्राइबल हीरो के रूप में सेलिब्रेट करने का काम किया। हमारे आदिवासी समाज के सबसे बड़े भगवान, आइकॉन और मसीहा भगवान बिरसा मुंडा, उनको भी कांग्रेस ने कभी याद करने का काम नहीं किया था। ये हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने वर्ष 2021 में 15 नवम्बर, जिस दिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस डिक्लेयर करने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है।

वर्ष 2025 में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म-जयंती थी, तब पूरे वर्ष ?आदिवासी गौरव दिवस? डिक्लेयर और सेलीब्रेट करने का काम किसी ने किया है, तो हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने ही किया है। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तब एक ही परिवार के लोग या एक ही परिवार के अप्वाइंटेड लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं। यह हमारे नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज से आई हुई महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी, जो कि वेल क्वॉलिफाइड और वेल डिजर्व्ड हैं, उनको राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ाया है और जिताया है, अगर वह काम किसी ने किया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है।

कांग्रेस पार्टी हमेशा बात करती है कि यदि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ये आदिवासियों का आरक्षण ले लेंगे, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने का काम करती है । मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । कश्मीर जो कि भारत का दिल है, वहां वर्ष 2019 तक अनुच्छेद 370 लागू था । वहां पर नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि यदि नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी 10 बार भी जन्म लेंगे, तो अनुच्छेद 370 नहीं हटा सकते हैं, लेकिन वर्ष 2019 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया और वहां पर एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है ।

आदिवासियों के जो सपोर्टर हैं, जो अपने आपको उनका हितैषी बताते हैं, जब वर्ष 2024 का इलेक्श्नन आया था, राज्य और केन्द्र का इलेक्शन था, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि यदि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम लोग अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे । यानी भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी, एसीसी और ओबीसी समुदाय को जो आरक्षण दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको वापस ले लेगी, कांग्रेस के लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कहा था । जब राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे पर थे, तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि यदि उनकी पार्टी की सरकार आएगी, तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे ।

अगर मैं खासकर गोवा की बात करूं, तो सन् 1947 में भारत को आजादी मिली थी, लेकिन गोवा को सन् 1961 में आजादी मिली थी । जो साउथ गोवा है, वह पूरा ट्राइबल डॉमिनेटेड जिला है।

वहां पर वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, यानी वहां पर 1,40,000 आदिवासी रहते हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों को स्टेटस देने का काम नहीं किया है । यह हमारी मनोहर पर्रिकर जी की सरकार थी, जिसने वर्ष 2003 में कुनबी, गौड़ा और

वेलिप को आदिवासी समुदाय का स्टेटस दिया था । वह संसद में भी पारित हुआ था ।

वर्ष 2012 में मनोहर पर्रिकर जी ने ट्राइबल्स के लिए 18 स्कीम्स लागू की थीं । गोवा में बीजेपी की सरकार है, उसने वर्ष 2023 में विधान सभा में यह रिजोल्यूशन पारित किया था कि संसद को एसटी का आरक्षण देना चाहिए । जब मार्च, 2024 में गोवा के सीएम, भारतीय जनता पार्टी और पूरी एसटी समुदाय की टीम ने अमित शाह जी से मिलकर रिप्रेजेन्टेशन दिया था कि गोवा में आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए । जब आरक्षण नहीं दिया गया, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां पर हमारे चार आदिवासी विधायक हैं । उनमें से एक विधायक गोवा विधान सभा के स्पीकर हैं । उनका नाम श्री रमेश तावड़कर हैं । हमारे आदिवासी समुदाय को यह पोजीशन देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है । अभी वहां पर एक मंत्री भी हैं ।

मैं पुनः नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को पूरे आदिवासी समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गोवा के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लाने का काम किया है । वहां पर हमारे आदिवासी समाज ने इतने सालों से जो अन्याय सहा है, आज वह अन्याय मिटने वाला है और गोवा में आदिवासियों को आरक्षण मिलने वाला है । मैं इसके लिए नरेन्द्र मोदी जी को खूब-खूब धन्यवाद देना चाहता हूं ।

जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिरमामुंडा, जय श्रीराम, भारत माता की जय ।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदया, धन्यवाद । मुझे गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका मिला है । अभी भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत दिनों बाद यह बिल लाया गया । दस साल से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । क्या अब आदिवासियों की याद आई है? यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए

था । इससे यह मालूम होता है कि आदिवासियों के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है । सरकार को एक राष्ट्र, एक चुनाव की चिंता हो रही है, इससे पहले एक शिक्षा लानी चाहिए । जब एक शिक्षा रहेगी, तब यह देश कायदे से चलेगा । इसके अलावा एक चिकित्सा भी लानी चाहिए । अगर एक शिक्षा नहीं है तो समझिए क्या होगा? जातीय जनगणना भी नहीं हो रही है । इस देश में कितने गरीब हैं, यह कैसे पता चलेगा? जब जातीय जनगणना होगी, तब पता चलेगा कि इस देश में बहुत गरीब हैं । उनका उत्थान करने के लिए जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा । एक देश एक राष्ट्र के तर्ज पर पहले एक शिक्षा देश में की जाए, जिससे गोवा प्रदेश व अन्य प्रदेशों का भला हो सके । गोवा प्रदेश में आदिवासियों की संख्या कितनी है, उस आधार पर जनप्रतिनिधित्व देने का विधेयक लाना चाहिए और उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए उनके स्थानीय जगहों पर विद्यालय और डिग्री कॉलेज बनाए जाएं एवं उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा के मुताबिक छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे गरीब अनुसूचित जनजाति के लोग पढ़कर समाज में समाजवादी समानता ला सकें ।

महोदया, जनजाति मामले विधेयक पर क्या इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई ऐसा विद्यालय या डिग्री कॉलेज सरकार ने खोला है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षा मिल सके और उनको शिक्षा के बल पर आईएएस, पीसीएस, दरोगा, बीडीओ इत्यादि नौकरी मिल सके । अगर है तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे । यदि नहीं, तो वे 75वें साल संविधान की वर्षगांठ होने के बावजूद और 77वें आजादी के साल के बाद सरकार जनजाति के लिए अब कोई विद्यालय या डिग्री कॉलेज बनाएगी, जिससे आदिवासी लोगों को लाभ मिल सके ।

अभी तक देश-प्रदेश में दो प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि जातीय जनगणना 2001 की हुई है । अब तक उस आधार पर आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी है तथा जिस प्रकार से नौकरी में साढे सात प्रतिशत आरक्षण मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जनप्रतिनिधित्व गोवा में मिलना चाहिए तथा गोवा प्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहिए । इसके एक राज्य की बात क्यों हो रही है? इसमें सभी राज्यों को ले लेना चाहिए

। संविधान के 75वें वर्ष के उपरांत तथा 77 साल आजादी के बाद आज भी देश-प्रदेश के आदिवासी उसी जगह पर रह गए हैं और कोई विकास नहीं हो पाया है। सरकार सोई हुई है। फिलहाल, आदिवासियों की जातीय गणना कराकर उपरोक्त अनुसार साढे सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना चाहिए । इस अधिनियम के प्रारंभ के यथाशीघ्र राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की अंतिम जनगणना यथाविद्यमान जनसंख्या जनगणना आयुक्त द्वारा अभिनिश्चित और प्राक्कलित की जाएगी । अनुसूचित जनजातियां आदेशों में किए गए संशोधनों के कारण अनुसूचित जनजातियों की अंतिम जनगणना के पश्चात् इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक राज्य में जनसंख्या परिवर्तन हो जाता है । वहां जनगणना आयुक्त अनुसूचित जनजातियों की इस परिवर्तित जनसंख्या को ऐसे प्रारंभ की तारीख को अभिनिश्चित और प्राक्कलित करेगा तथा अंतिम जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या से, क्रमश: अनुसूचित जनजातियों की उस जनसंख्या के अनुपात को भी अभिनिश्चित या प्राक्कलित करेगा ।

उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित और प्राक्कलित किए गए जनसंख्या के आंकड़ों को जनसंख्या आयुक्त द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । राज्य के लिए धारा 3 के अधीन जनसंख्या आंकड़ों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग राज्य की अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के संविधान के अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 332 परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आदेश में ऐसे संशोधन करेगा, जो आवश्यक हों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित हुई समझी जाएगी ।

अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधी सभी विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून सुरक्षित हो जाएं । इसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा । संविधान को पढ़ने का ढकोसला करने वाले लोग, सरकार के लोग क्या इस पर ध्यान देंगे कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए । यदि सचमुच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधी कानून संरक्षित करना चाहते हैं तो 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए ।

सभापति महोदया, असम राज्य के एक करोड़ लोग संथाल, उरांव, मुंडा जनजाति में शामिल नहीं हैं । इन्हें शामिल किया जाए । चाय बागान श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति की मान्यता देने की असम सरकार की अनुशंसा है, इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए । राजधानी दिल्ली में करीब 15 से 20 लाख भील, गोंड, संथाल, उरांव, मुंडा आदि आदिवासियों का निवास है । इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए । उत्तर प्रदेश में कोल, मुसहर और छोटी-छोटी कई गरीब जातियों के लोग निवास करते हैं । उन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर उनका विकास करना चाहिए । आदिवासियों के लिए जंगल जमीन की महत्ता है । तेंदूपत्ता और पीआर को वे स्वतंत्रता से बेच सकें, इसका इंतजाम किया जाए । लेकिन अगर वह तेंदूपत्ता बेचने के लिए जाते हैं तो पकड़े जाते हैं और जेल भेज दिए जाते हैं । उन पर तमाम नियम-प्रक्रिया लागू होती है । उनका यह काम स्वतंत्र होना चाहिए । पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के सही अनुपालन हेतु देश के यूपी समेत 12 राज्यों में मौजूद अनुसूचित क्षेत्र के इलाकों को चिन्हित करके डिमार्केशन किया जाए और पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में उच्च स्तरीय केन्द्रीय समिति का गठन किया जाए ताकि यह पता चले कि अभी देश-प्रदेश में कितने बहुत गरीब लोग रह चुके हैं । उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए ।

सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परिसीमन आदेश में कोई संशोधन करने में आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड घ के उपबंधों को ध्यान में रखेगा । संशोधनों के लिए अपने प्रस्तावों को भारत के राजपत्र तथा संबंधित राज्य के राजपत्र में और ऐसी रीति में भी जो वह ठीक समझे, प्रकाशित करेगा । ऐसी किसी तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके पश्चात ऐसे प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा । धन्यवाद । जय अखिलेश यादव, जय समाजवादी पार्टी ।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, on behalf of the All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Readjustment of

Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024.

मैडम, हिन्दी में एक कहावत है ? ?देर आए पर दुरुस्त आए । ? लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार बोलने में माहिर है, लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह कुछ नहीं करेगी । पिछले दस साल जैसे झूठे वायदों का सौदा किया, आने वाले दिनों में भी वही झूठे वायदे करने वाली है ।

The Bill relies on the Census data of 2001 to ascertain the Scheduled Tribes? population which is outdated and does not reflect the current demography. The inclusion of the Kunbi, Gawda, and Velip communities in the Scheduled Tribes List in 2003 led to a substantial increase in the Scheduled Tribes? population as per the 2011 Census which should have prompted an earlier intervention. The reliance on old data may lead to flawed representation adjustment undermining the very objective of fair representation.

Secondly, the Bill acknowledges that the Delimitation Commission?s work ended in 2008 and further delimitation has been frozen until 2026. These delays raise a question about why this Government waited until 2024 to introduce this Bill. The delay has already deprived the Scheduled Tribe communities of their rightful representation for over two decades.

Thirdly, the Bill grants extensive power to the Election Commission to amend the Delimitation Order and readjust seats. While the Election Commission?s autonomy is crucial, the lack of a clear and transparent process in the Bill raises concerns about potential arbitrariness. The absence of a clear framework for

public consultation and accountability in the decision-making process is worrisome. The Election Commission?s amendment to the delimitation process should include a mandatory public consultation phase. This would allow citizens and community leaders to voice their concern and give suggestions ensuring that readjustment process is transparent, participatory and democratic.

Fourthly, the Central Government is empowered to issue orders to remove any difficulties in implementing the Act. This provision will allow the Government to make potentially significant changes without Parliamentary scrutiny, raising concerns about the erosion of democratic oversight. Any significant change should require the approval of Parliament ensuring that democratic processes and checks and balances are maintained.

Fifthly, the Bill states that the readjustment of seats will not affect the existing Legislative Assembly until its dissolution. This means that even if the Bill is enacted, the Scheduled Tribe communities will have to wait until the next election cycle to benefit from the adjustment. This further delays justice and representation for these communities. The Bill should include a specific timeline for the completion of delimitation process and the implementation of seat adjustment to ensure timely justice.

Sixthly, Goa has witnessed significant demographic changes since 2001. The Bill does not adequately address how this shift will be factored into the new delimitation process. The exclusion of updated demographic data could lead to ineffective or inequitable representation. The Bill should mandate the use of the most recent census data such as the 2011 data or even the

provisional 2021 figure to ensure that the readjustment of seats accurately reflects correct demographic realities.

My seventh point is this. The Bill?s provision that prevents the population figure and amendments from being challenged in courts could be seen as an attempt to insulate the process from judicial review. This raises constitutional concern as it may infringe on the Judiciary?s role in upholding the rule of law and protecting the citizens? rights. A mechanism for judicial oversight could be included to ensure that the process remains fair and constitutional. This would build public trust and prevent potential legal challenges. I would like to mention here that for sustainable development and for economic development, our hon. Chief Minister Mamta Bandyopadhyay every month provides Rs.1000 to the SC/ST communities under the scheme of Taposili Bandhu and Jai Johar scheme. How can we expect from this Government that this Government will do justice to the SC/ST people? This is because this Government removed Dr. Baba Saheb Ambedkar?s statue holding the Constitution in his hand, raising his finger towards the Parliament Building. This is nothing but to dishonour Dr. Baba Saheb Ambedkar as well as the entire SC/ST communities.

With this, I conclude my speech and thank you for permitting time to finish my speech. Thank you, Madam.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Vanakkam, Madam Chairperson.

Madam Chairperson, on behalf of the DMK Party, I stand in this august House to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024. This Bill is drafted very slowly. The Government has not applied its knowledge. It is only entrusted on the previous census data. The DMK Government, from day one, has been insisting that the Government of India has to spend time and energy, and also, has to allocate separate funds to first take new census data.

Before taking this census data, whatever you do may not be right, or it may be wrong also. We do not know. I can give you a very practical example. I come from Vellore district. In panchayat elections, certain constituencies have been allocated to certain communities. But we find it very difficult to find even one single voter in that particular constituency belonging to the allocated reservation. All this happens because of the lack of census data. Even the previous speaker had mentioned about demographic data. Only if the census data is lying, or if the census data is collected on time, then, automatically things will happen. We are talking about election of the representatives from the region where the representation of the community has to be there. In Tamil, we used to say:

?Ellorum Innaattu Mannar?

What does it mean? Everyone is a prince of this land. Everyone has a right to rule this land. Everyone has a right to be represented or represent the community to which they belong to. So, if a new census data is there, then automatically everything

becomes clear; the representation becomes true, fair and just; and, automatically, there will be nothing to complain about.

Not only that, whenever the Government wants to deploy certain support to the community where they want to bring in supportive measures to the community, if the census data is lying and if the census data is taken on time, then, automatically people can get benefits from the scheme. As a Member of Parliament, we get many schemes to be given to the SC/ST communities. But if the census data is there, then, automatically, we can choose those hamlets easily and then, it can be given. But now, we go into the villages and we go to the people, and then, by fair means, we get to know which is the community that is available there and which is the largest community, and when the scheme is brought in, which community will get the benefit.

Therefore, from the DMK Party, through this Bill, I want to press upon this Government the importance of taking the new census data, which will reveal the demographic data and that will be clear and just.

The Lambadi community in Tamil Nadu and in other places in India, is a very important community. Even their community has to be represented. Even they need an allocation of a Constitutional space in India. They also need to be included here.

Now, I conclude here by stating that the Government should act, at least, now. The hon. Prime Minister along with the hon. Finance Minister should allocate enough funds for the collection of census data, which will definitely give a fair and clear way of doing this demography.

Thank you, Madam.

17.00 hrs

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Madam, I rise today to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024. First and foremost, I commend the Government for bringing forward this much-needed legislation. The Bill seeks to reserve seats for Scheduled Tribes in the Goa Legislative Assembly, a crucial step towards ensuring that the political representation of these communities is in line with their growing population in the State.

While this Bill addresses ST representation in Goa, I want to speak about a community that has been awaiting rightful recognition for decades.

I speak of a community where less than one per cent of the population is literate, a community that is largely landless and without any steady income, a community that has given India the great Hindu epic of Ramayana, the descendants of Maharishi Valmiki Ji himself.

I am speaking about the Valmiki Boya community ? a community that has faced decades of marginalization and neglect. And as I stand here today, I say with pride, I am one of them.

*Struggles of Boya Valmiki and ours is one and the same in both the states of Telangana and Andhra Pradesh. Therefore, to include the Boya community in the central list of Scheduled Tribes, is not just a legislative process, but a process which will

ensure equality and justice to this community. The government should use this opportunity to identify the backwardness of this community. Historically, this community was notified as a criminal tribe under Criminal tribes Act 1871, and as a result, this community was subjected to boycott for so many decades. Though this community was gradually included in the lists of SCs, STs, OBCs and denotified tribes in different regions, this community is unable to get real justice and are still trapped in poverty. For decades, they are struggling to get some recognition. Recently we had a discussion on 75 years of the glorious journey of the Constitution of India. The rights which were prescribed by Dr Ambedkar in our Constitution for backward and oppressed classes was available for the Boya Valmiki community, which was a Scheduled Tribe. But after 1956, this community was declared as a denotified tribe or even as backward classes in some regions. As a result, we remain economically backward and were deprived of employment opportunities. Taking into consideration all these circumstances, our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu in 2017 passed a resolution in Andhra Pradesh Assembly to include the Boya Valmiki Community in the list of Scheduled Tribes and sent it to the Union government for consideration. Even after seven years, we did not get justice. I am bringing this to your kind notice to render justice to our community. Hon. Minister of Tribal Affairs, who was an MP in previous term has stated that any resolution passed by a state assembly needs to be implemented by the Union government and at the same time any resolution passed by a state government should not be reversed by the subsequent Government. As he is the minister for tribal affairs now, we expect

him to implement the same and give us justice which is due for the last 60 years. As we are discussing One Nation One Election in Parliament, in this context, I want to mention that our caste is being treated as a scheduled tribe in one state and as a backward class in another. Therefore, I want our community to have one reservation throughout Andhra Pradesh. Similarly, Vaddera community in our state is also demanding ST status And I request the government to include that community also in the list of STs*.

Despite the clear evidence and well-founded recommendations, the Valmiki Boya community?s rightful recognition remains pending. In the past few days, I personally met with the Tribal Affairs Minister Shri Jual Oram Ji, as well as officials from the Registrar General of India, and the Ministry of Social Justice and Empowerment, to expedite the resolution of this long-pending issue.

Hon. Prime Minister Modiji has promised to grant ST recognition to the Valmiki Boya community. As part of honouring the great contributions of Maharishi Valmiki, the Prime Minister himself has not only renamed the airport in Ayodhya as Maharishi Valmiki International Airport, but also inaugurated it. Today, I stand here with confidence that the day is not far when I will rise in this very House to speak on the Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill. This Bill will include the Valmiki Boya community in the ST list, finally giving them the recognition and justice they truly deserve.

I would like to conclude by showing my full support for this important Bill which aims to ensure rightful representation and

justice for the Scheduled Tribes in Goa. Thank you.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

<u>17.06 hrs</u> (Shri P.C Mohan *<u>in the Chair</u>*)

वर्तमान विधेयक का संबंध मुख्यत: हमारे संविधान के आर्टिकल 332 से है । आर्टिकल 332 शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स को विधान सभा में रिज़र्वेशन देने की बात करता है । गोवा विधान सभा में अब तक रिप्रेजेंटेशन या रिज़र्वेशन अब तक नहीं मिल पाया है । इस विधेयक को लाने का मुख्य कारण एवं मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन गोवा में 1,49,275 थी, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, यह संख्या मात्र 566 थी । पॉपुलेशन की वृद्धि के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इतनी बड़ी संख्या वाली पॉपुलेशन को गोवा विधान सभा में निश्चित रूप से, जनसंख्या के आधार पर रिज़र्वेशन और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ।

भारतीय संविधान के महान शिल्पकार और भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति, समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करता है। डॉ. अम्बेडकर साहब ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनीतिक आयामों के बीच अंतर स्पष्ट किया था । उन्होंने कहा था कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन का गठन वर्ष 2026 तक फ्रीज़ किया गया है । भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अनुसार, अगला डीलिमिटेशन कमीशन का काम तब तक के

लिए रोक दिया गया है जब तक वर्ष 2026 के पश्चात किये गये जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिये जाते हैं ।

गोवा में नये समुदाय- कुनबी, गावड़ा और वेलिप को शिड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी में शामिल किया गया था, इससे भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई । इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया जाए कि वह the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 and readjust the seats in the Legislative Assembly of the State of Goa में अमेंडमेंट करके शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर उनको रिज़र्वेशन और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ।

इस बिल के पास होने से गोवा में अनुसूचित जनजाति का विधान सभा में इफेक्टिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगा । शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के कल्याण के लिए देश की वर्तमान सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । हमारे परम आदरणीय माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एससी और एसटी के कल्याण के लिए एक पहचान बन गए हैं । हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में एससी, एसटी को मुख्य धारा में लाने के लिए कई मुख्य कदम उठाए हैं, जो बिहार में दिखता है ।

इस बिल में अपनी बात रखते हुए, मेरा सुझाव है कि एससी और एसटी बच्चों को आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज और देश के हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में आत्महत्या करने से रोका जाए । इसके पीछे छिपे हुए कारणों को गम्भीरता से संज्ञान में भी लिया जाए ।

वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को अध्ययन करने से पता चलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में भारत कई देशों से आगे है । गरीबी घटी है और सरकार ने एससी, एसटी के विकास को प्रायॉरिटी पर रखा है । नीति आयोग ने वर्ष 2017 में यह प्रपोज़ किया था कि एससी, एसटी के ऊपर

खर्च होने वाली बकाया धनराशि केवल एसटी पर ही खर्च की जाए । इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से प्रिंसिपल अप्रूवल भी लिया गया था ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में 9,818.24 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए लैप्स हो गए । इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 11,042.26 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-21 में 19,922.35 करोड़ रुपए, वर्ष 2021-22 में 16,942 करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 में 13,961.54 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए लैप्स हो गए ।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है और साथ ही मेरा निवेदन भी है कि बिना खर्च हुए, लैप्स हो गए इन रुपयों को नीति आयोग द्वारा सुझाए गए नियमों के अनुसार एसटी के कल्याण पर ही खर्च किया जाना चाहिए और उसे खर्च किया जाए ।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

धन्यवाद ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you very much for giving me an opportunity on behalf of the NCP (SP) to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies in the State of Goa.

Sir, Goa is a very, very small State in size. But it is one of the biggest contributors to India's tourism. I think we are all very, very proud of Goa because it was one of the few States which, right in the beginning, before India was on the tourism map globally, beside Delhi as the Capital and Mumbai as the economic capital of India, were internationally known for their contribution of culture, heritage, and tourism. So, one of those first few States was Goa. Today we are giving to the Scheduled Tribes of Goa a

seat, which is a welcome step. I would like to thank the Government and congratulate the people of Goa for getting this opportunity.

But while I speak about the Bill, I would like to reiterate a few points which my learned friend, Pratima Mondal has said because this is connected to a Bill which we passed in this very House a few months ago. This exercise of delimitation was initiated in 2002. It is regarding the Kunbi, the Gouda and the Velip, all these are the Scheduled Tribes which have got this reservation now, and that is why we are moving this Bill.

The Delimitation Commission had ceased to exist after completion of the task in 2008. Under Articles 82 and 170 of the Constitution, further delimitation stands frozen until the figure of the first Census taken after the 2026 has been published.

I have three-four important points to make. I am very grateful that Meghwal ji has come here. I would like to ask hon. Meghwal ji just three pointed questions regarding this Bill. I congratulate him for bringing it for the people of Goa. My questions to the hon. Minister, Shri Meghwal ji are these.

The way Goa has this, what is the position of Maratha, Dungar, Lingayat, Muslim and Vimukta Jati and Nomadic Tribes (VJNT) in Maharashtra? These are the communities which are looking for reservation in Maharashtra. What is the position of this Government in that regard? I am saying it because the hon. Member, Mr. Dhaval Patel, who was from your own party, has also extensively talked about it. I will come back to that point as well. The BJP in Maharashtra says that the Dungar community should

get the ST reservation while in Delhi, earlier they had one Member, Ms. Hina Gavit, who is also a young tribal girl, said on the Floor of the House that they do not want this category for the Dungar. So, can the Government clarify their stand on specific reservation for Dungar, Maratha, Lingayat, Muslim and VJNT, which are demanding reservations? महाराष्ट्र में ये सारे रिज़र्वेशन मांग रहे हैं । इस पर सरकार का क्या स्टैन्ड है? यह मेरा पहला सवाल है ।

My second point is with regard to the delimitation which they have brought in through this. Now according to this note, which reads as ?It is imperative to enact the law to provide for enabling provisions empowering the Election Commission of India to make amendments in Delimitation of Parliamentary Assembly Constituencies Order 2008 to readjust the seats of Legislative Assembly in the State of Goa for the Scheduled Tribes of the State." So, this is applicable to the entire country.

Now, I would like to ask specifically this Government that they had committed to it. We had a Special Session for passing the Women?s Reservation Bill and the entire House supported it. If the delimitation is so critical and the Election Commission has made a special case, what steps is this Government taking to give effect to it? The Census of 2026 is very important to be carried out. Has this Government started moving in that direction? According to the Demands for Grants, the amount of money required is Rs. 12,000 crore, but they have given only Rs. 1,000 crore. We passed the Demands for Grants just today while we spoke about it yesterday. What is the position? Already 2024 is ending and there are only two years ? 2025 and 2026. What is the commitment of the Government to this issue? When will this

women reservation be effected? We should target for 2026 so that in 2029, when we all go back for re-election, the Women?s Reservation Bill should have not only been passed, but also implemented in every State. What is this Government doing for that? मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम्स, वीजेएनटी और महिला आरक्षण बिल की भी क्या पोजिशन है और इसके आरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? आपने जैसा गोवा में किया, बहुत अच्छी बात है लेकिन जो महाराष्ट्र की डिमांड है, उसके लिए और महिलाओं के आरक्षण के लिए आप कब तक करेंगे?

Sir, there is another question which is very alarming for all of us. You are also from Bengaluru which is a very large constituency. I also represent Baramati which has 23 lakh voters today. डीलिमिटेशन करना हर सांसद के लिए जरूरी है । हम जब पहली बार चुनकर आए, तब 10-12 लाख वोटर्स थे लेकिन आज करीब 25 से 30 लाख वोटर्स हो गए हैं । इस बारे में बहुत बार चर्चा हुई है । परसों रेड्डी सर ने भी कहा कि एमपी लैड फंड बहुत कम पड़ता है इसलिए इसे बढ़ा दीजिए । Delimitation is due in 2029, with all these reservations. Will this Government go for delimitation and reservation by 2029? That is my only concern because we do not see much activity around the census. I will be grateful if the hon. Minister could kindly reply to that.

Sir, I have two or three small points. Shri Dhaval Patel made a very good speech. Probably it was his maiden speech. I would like to put a few things on record about which he said. With your permission, I would like to make very short points. Normally, I do not speak about anything else. The Bill is about Goa and delimitation, but he told us some very nice success stories about Gujarat and gave the comparisons. I would like to put forth here some nice things which are about the leaders who were in the

Congress before and now are in the BJP. I think, even the House should know the good work done in this country. Shri Dhaval Patel said that an ?Adivasi Budget? for the first time was presented there. I say this with great pride that it was the Congress Government in Maharashtra, which was the first State Government in the country to do so, which presented a separate ?Adivasi Budget?. At that time, Shri Sharad Pawar was the Chief Minister and Shri Madhukar Pichad Sahu was the Adivasi Minister. Shri Madhukar Pichad Sahu later joined BJP and unfortunately passed away just two weeks ago. His son is also in the BJP. That Budget was implemented at that time. We take a great pride in having done that. I am so glad that it was taken forward.

Secondly, he talked about Atal ji?s wonderful work also. We also talk about it. He is one of the tallest leaders India has had. As much he belongs to the BJP, he belongs to everyone. He was the Prime Minister of India. We are all very proud of Atal ji?s glorious career and the work he has contributed in India. He said that Atal ji started the Eklavya Colleges. He said, ?कांग्रेस ने क्या किया?? I would like to put on record that the Congress started a wonderful scheme called the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya where all the adivasi girls from five to eight years of age are brought in and educated. Since this Government is so committed to the adivasi community, I urge this Government to extend this school all the way to college. They may include it in the Eklavya model or find another solution. This Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya for Adivasi girls is left half-way. It is neither here nor there. It was

started during the Congress time and it was supposed to be taken ahead, but it has not been taken ahead.

He also said that कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ किया ही नहीं, कालेज तो बाद में बने । I would just like to put on record that there is a young lady, who was a part of this House in the previous Lok Sabha, called Dr. Heena Gavit. She was first in the NCP and then went to the BJP. Her father was in the NCP and is now in the BJP. Both are doctors. Both were in the Congress, NCP and are now in the BJP. ये कांग्रेस के पैसे से नहीं बल्कि सरकार के पैसे से जो हम टैक्स भरते हैं, उससे यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनता है । Those were the days when families like this were there. She is a very young lady, but unfortunately, she lost her Lok Sabha seat. Then, she tried to contest for a Vidhan Sabha seat. I take this opportunity to say that there are some young dynamic girls. She is an Indian first and then she is an adivasi girl. Since Mr. Dhaval Patel is so concerned about all this, he should consider this. She is in the BJP today. Maybe, she needs a good, responsible role because she is very well educated and qualified girl who has done very well.

There are many schools and colleges, like IITs and IIMs, which have started during those 45 years. वे कह रहे थे कि वह अंधेरे में था, जबकि ऐसा नहीं है । हीना गावित और विजय कुमार गावित अंधेरे में नहीं पढ़े, वे महाराष्ट्र में पले । उनका महाराष्ट्र में नन्दुरबार क्षेत्र गुजरात के बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है । वे अंधेरे में नहीं पढ़े, वहां लाइट थी । I think there is this whole illusion of selective amnesia. Parliament is a more serious forum. ऐसा कहना सही नहीं है कि 45 वर्षों तक सभी अंधेरे में रहे । There was electricity. They did become doctors. They were in the Congress, the NCP, and now with the BJP. So, let us put some things in context.

I compliment Meghwal ji for bringing in this Bill. With full humility, I would like to request, as my friend Pratima Mondal ji has requested, महिला आरक्षण बिल, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, और वी.जे.एन.टी. की जो आरक्षण की मांग है, उस पर भी आप विचार करें और उसे पूरा करें । वर्ष 2029 में जब हम लोक सभा में आएं तो आप इन दोनों पर अमल करके इनको भी न्याय दें । इतनी विनती करते हुए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं ।

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): Thank you, Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024.

The Bill proposes a readjustment in the representation of Scheduled Tribes in Assembly constituencies of the State of Goa. The Goa State Assembly presently does not have any reserved seats for Scheduled Tribes. The proposed amendments are aimed to address the disparity in the representation of Scheduled Tribes in the State Assembly, as it is currently disproportionate to the Scheduled Tribes population in the State. The Bill authorizes the Census Commissioner to determine Goa?s Scheduled Tribes population, incorporating tribes recognized after the 2001 Census.

The Bill authorizes the Election Commission to amend the 2008 Delimitation Order, allowing constituency adjustments in Goa Legislative Assembly to ensure adequate representation for Scheduled Tribes in line with Article 170 of the Constitution, which deals with the readjustment of the number of seats in the House of the People and the Legislative Assemblies of the States and Union Territories. Between the 2001 and 2011 Census, the ST

population in Goa has increased to approximately 10 per cent, and is expected to have further grown since. However, according to Articles 82 and 170 of the Constitution, territorial constituencies are to be readjusted after the Census. The delimitation exercise remains frozen until post-2026 Census figures are published. Thus, there is no mechanism to readjust seats to accommodate the increased ST population recorded in the 2011 Census compared to 2001.

For the first time in 150 years, India?s Census has been delayed. The Modi Government is shrinking from its administrative duties for political gains. Even two years after the COVID-19 crisis, the Government continues to postpone the Census, aiming to benefit electorally from the delimitation exercise if it is conducted before the 2029 Lok Sabha elections. The Modi Government?s refusal to undertake a national level caste Census has meant unequal representation of the SCs and STs in various domains, including Parliament and State Assemblies and also local bodies, especially if their numbers have grown relative to the rest of the population. While the Modi regime has spoken much about good governance, it lacks the basic understanding that good governance involves drafting policies and programmes informed by data gathered from the Census and National Health and Family Welfare survey, etc. In the absence of such crucial information, the Modi Government?s schemes do not respond to the actual ground realities.

चेयरमैन सर, जब तक पूरे इंडिया में कास्ट सेन्सस नहीं हो जाती, तब तक एस.सी., एस.टी. और बाकी वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा ।

महोदय, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के गढ़चिरौली में आदिवासियों की जनसंख्या 35 पर्सेंट है, लेकिन उनको आरक्षण 24 पर्सेंट मिलता है । वहीं, हमारे यहां ओबीसी की जनसंख्या 50 पर्सेंट हैं, लेकिन उनको आरक्षण सिर्फ 6 पर्सेंट मिलता है । 50 प्रतिशत की मर्यादा आरक्षण के ऊपर होने से जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओपन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है । यह पैरिटी हटाने के लिए जब तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा, तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा । इसी तरह से हमारे महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए लोकल बॉडीज़ में पॉलिटिकल रिज़र्वेशन था, लेकिन यह कास्ट बेस्ड डेटा नहीं होने की वजह से उनका वह आरक्षण खत्म हो गया है । जब तक कास्ट बेस्ड डेटा आएगा नहीं, तब तक ओबीसीज़ को लोकल बॉडीज़ में आरक्षण मिल नहीं पाएगा । इसीलिए हम मंत्री जी से विनती करते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस पूरे इंडिया में होना चाहिए, सिर्फ गोवा में ही नहीं । गोवा के लिए जो बिल सरकार लाई है, जो एसटी की पॉप्युलेशन बढ़ी है, उससे कम से वहां चार सीट्स बढ़ेंगी तो यह अच्छी बात है । वे सीट्स बढ़ाएं, लेकिन वहां जो सेंसस होगी, सिर्फ एसटी की सेंसस नहीं होनी चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ही सेंसस नहीं होनी चाहिए, सभी लोागों की सेंसस होनी चाहिए । यह कास्ट बेस्ड सेंसस पूरे इंडिया में कर के सभी वर्गों के लोगों को, सभी तबकों के लोगों को न्याय देने का काम सरकार करेगी । ऐसी मैं विनती करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : चेयरमैन सर, मैं The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज हमारी सरकार देश भर में, जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कांग्रेस सरकार के समय लेफ्टआउट हुईं, उनको मोदी जी और हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज़ किया है । इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ । आज मेघवाल साहब इस बिल को ले कर आए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ । गोवा हमारे हिंदुस्तान की एक ब्लू आई है । गोवा हमारी पहचान है । अगर दिल्ली और मुंबई के बाद नेक्स्ट स्टार पहचान है तो वह गोवा है । चाहे वह टूरिज्म सैक्टर में हो, कल्चरल सैक्टर में हो, वहां के सीबीच हों, गोवा बहुत ब्यूटिफुल

स्टेट है । कांग्रेस के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैप्टन फर्नांडिस बोल रहे थे । 2011 सेंसस के बाद, ये जो तीन ट्राइब्स ? कुनबी, गुंड्रा और वेलिप हैं, इन तीन ट्राइब्स को इनक्लूड किया गया है । उसकी वजह से आज एसटी पॉप्युलेशन करीब एक लाख 50 हज़ार बढ़ी है । हमारे कैप्टन फर्नांडिस साहब बोल रहे थे कि they are the original inhabitants of Goa. After liberation from the Portuguese in 1961, for 53 years. मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय कांग्रेस का रूल था, तब उस समय इन ट्राइब्स को क्यों शिड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में नहीं लाया गया? आज इसका जवाब हमें कांग्रेस दे । मैं गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ । उसकी मेहनत और पहचान बनी तो आज हमारी सरकार, मेघवाल साहब और मोदी साहब इस बिल को आज इस सदन में लाए हैं कि ट्राइबल का पॉप्युलेशन बढ़ी है तो इसमें डीलिमिटेशंस पॉवर 2008 में खत्म हुई । इस अमेंडमेंट से हम इलेक्शन कमीशन को शक्ति देंगे, डीलिमिटेशन कमीशन का गठन कर के असेंबली में ट्राइबल रिप्रेज़ेंटेशन को इनक्रीज़ करे और वहां ट्राइबल रीप्रेज़ेंटेटिव्स बढ़ाए । इसके लिए यह बिल है । मैं इसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हूँ ।

ऑनरेबल चेयरपर्सन, आज हम सब राजनेता शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की मदद के लिए खड़े हैं । मोदी साहब ने आदिवासी गौरव दिवस अनाउन्स किया था । यह भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर अनाउन्स हुआ और इसके बाद सारे हिन्दुस्तान में हर पोलिटिकल पार्टी इस गौरव दिवस को मना रही है । आज हमारे ट्राइबल का फैशन देश भर में बढ़ा है । अभी बहुत से प्रदेशों में ट्राइबल लिस्ट में आने की प्रक्रिया चल रही है । मैं अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी आदिवासी लेफ्ट आउट हैं, उनको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन से और सेंसस के आधार पर जल्दी से जल्दी शामिल जाए । इस रिप्रेजेंटेटिव असेम्बली में पास होने के बाद, मैं जानता हूं कि गोवा के हमारे ट्राइबल भाई-बहनों को बहुत खुशी मिलेगी । इस चीज को कांग्रेस ने 53 ईयर्स गोवा में रूल करने के बाद और पुर्तगालियों के जाने के बाद बिल नहीं ला पाई । आज मोदी जी के नेतृत्व में

गोवा की असेम्बली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे । आज ट्राइबल के जितने भी प्लान्स हों, एसटी सब-प्लान हों, ट्राइबल-सब प्लान हों, इसके हमारे हमारे ऑनरेबल मेम्बर ने कहा है कि पहली बार हिन्दुस्तान में अगर किसी ने ट्राइबल के लिए सोचा है, उनके लिए काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार ट्राइबल मिनिस्ट्री को अलग से क्रिएट करने का काम किया । इस गवर्नमेंट ने ट्राइबल के ऊपर ध्यान दिया है ।

इसके साथ ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक कमीशन हुआ करता था । इसको अलग करके शेड्यूल कास्ट का अलग कमीशन बना और शेड्यूल ट्राइब्स का अलग कमीशन बना । आज हिन्दुस्तान में आदिवासी के प्रोटेक्शन के लिए, शेड्यूल कास्ट के एलिवेशन के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है । इसमें वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी की सरकार ने काम किया है । ट्राइबल एजुकेशन, स्कॉलरशिप, हेल्थ बेनिफिट के लिए मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं ।

ऑनरेबल चेयरपर्सन साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा । गोवा में जो ट्राइबल एरिया है, उसके लिए हम हमेशा से कहते आए हैं कि ट्राइबल है तो जल, जमीन और जंगल का हमारा राइट बनता है । मैं मेघवाल साहब से कहना चाहूंगा । इस सदन से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा । ट्राइबल झंडा लेकर कहता है कि जल, जंगल और जमीन हमारा है । अगर वह जंगल का राइट क्लेम करता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाता है । जमीन के अंदर ऑयल एंड मिनरल मिलता है । यह एक सेंट्रल सब्जेक्ट है । जब ट्राइबल जगह में नदी के ऊपर डैम बनता है, वहां कुछ प्रोजेक्ट्स का काम होता है तो उसमें ट्राइबल का हिस्सा बनना चाहिए । ट्राइबल कम्युनिटी जिस जंगल, जमीन और जल में रहता है, उसका भी अधिकार उनको मिलना चाहिए । इसके कानून को भी मेघवाल साहब को देखना होगा । जल, जंगल और जमीन का हमारा राइट बनता है । जिसमें हमारा बेनिफिट होना है, अगर उसमें कोई कमी है तो इसे भी सरकार को देखना चाहिए । ऑनरेबल चेयरमैन साहब, इस सदन से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चूंकि यह लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव बिल है, लेकिन ट्राइबल रिलेटेड है । अंडमान और निकोबार के सेंटिनेल आइलैंड में एक सेंटिनेल ट्राइब है ।

कांग्रेस के समय एक कानून जारी किया गया था कि उस सेंटिनल ट्राइब को डिस्टर्ब नहीं करना है । वहां किसी को नहीं जाना है, ऐसा कानून बना कर रखा है ।

आज मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगा कि इस 21वीं सेंचुरी में सेंटिनल ट्राइबल को हम कैसे छोड़ दें? मैं वहां क्यों कम्युनिकेशन न करूं? आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है । कांग्रेस राज से लेकर आज तक उस सेंटिनल आइलैंड को कम्युनिकेट नहीं किया । ? (व्यवधान) इसको हमें कम्युनिकेट करना चाहिए और इसको भी ह्यूमन डेवलपमेंट रेस में लाना चाहिए । मेरी सरकार से यह अपील है ।

मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं । अरुणाचल प्रदेश में एक जगह विजय नगर है, जो चाइना, तिब्बत और म्यांमार बार्डर पर है । After 1962, there were no inhabitants. एक आर्मी आफिसर ने एक्ट्राडिशन में जाकर वहां की लिसु, योबिन कम्युनिटी को पहचाना । उसको स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में जोड़ना चाहिए ।?(व्यवधान) स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ट्राइबल का दर्जा देता है । It is duly recommended to the Tribal Affairs Ministry. RJI has also recommended and ST Commission has also recommended. इस चीज को भी हमारी सरकार देखे कि हमारी योबिन कम्युनिटी को कांस्टीट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब का स्टैटस मिले । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI TAPIR GAO: Sir, my only one pint is this. After 1962 aggression in Arunachal, the Army people retired. The people from Assam Regiment retired and people from Assam Rifle retired. All these people have been settled in Vijoynagar. इन लोगों के पास वहां का रेजीडेंशियल सर्टीफिकेट नहीं है । वहां उन्हें वर्ष 1962 में डम्प कर दिया गया । गोरखाज़, पंजाबीज़, असमीज़, उस कम्युनिटी के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी को बनाकर इन लोगों को सैटल करवाया

है । गोरखा को वहां एक पहचान बनाकर अगर रखते हैं तो हमारे देश और समाज के लिए अच्छा होगा । मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं ।

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : महोदय, मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए पंत प्रधान श्री नरेन्द्र मोदी जी और सरकार को धन्यवाद देता हूं । दी री एडजेस्टमेंट ऑफ रीप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन असेम्बली कांस्टीच्युएंसीज़ ऑफ दी स्टेट ऑफ गोवा बिल, 2024 एक ऐतिहासिक कदम है । इस विधेयक को हमारी पार्टी शिव सेना और हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी की ओर से मैं समर्थन देने के लिए यहां खड़ा हूं ।

यह विधेयक गोवा विधान सभा में शेड्यूल ट्राइब्स को प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है । दशकों से यह समुदाय उपेक्षित था । अब सरकार के इस कदम से उन्हें न्याय और सम्मान मिलेगा । यह विधेयक न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पथर है, बल्कि यह संविधान के उद्देश्यों को भी पूर्ण करता है । हमारा देश आदिवासी समाज की उन्नति और सशक्तीकरण के लिए सुनियोजित योजनाओं और ठोस नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है ।

मैं पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया । पंत प्रधान जी ने 2 अक्टूबर, 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस योजना की शुरुआत की । 79,150 करोड़ रुपये के इस प्रोग्राम के तहत 63 हजार से अधिक जनजातीय गांवों में से स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएंगे । इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा ।

सरकार ने आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 40 नए ईएमआरएस स्कूल खोले और 25 स्कूलों की आधारशिला रखी । 2800 करोड़ रुपये की लागत से बने ये स्कूल नवोदय विश्वविद्यालय के समकक्ष हैं । यहां स्थानीय कला, संस्कृति और खेलों को बढ़ावा मिलता है ।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा-अभियान के तहत सड़क कनैक्टिविटी, आंगनवाड़ी सैंटर्स, स्कूल्स और होस्टल्स बनाए जा रहे हैं । पीवीटीजी परिवारों के लिए 75,800 से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है और 500 आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं । महाराष्ट्र में सब काम हो रहे हैं । इससे पहले महाराष्ट्र के एक नेता ने बोला कि आदिवासी लोगों के लिए हमने यह किया, वह किया, लेकिन धनगढ़, धनवर जातियों को रिजर्वेशन देना चाहिए । ? (व्यवधान) वह नेता अब इधर नहीं हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन एसटी कम्युनिटी में झगड़ा कराने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है । ? (व्यवधान) अब वह नेता किधर है, इससे मतलब नहीं, पार्टी का एजेंडा क्या होता है, इससे मतलब है? महाराष्ट्र में एससी रहेंगे, एसटी रहेंगे, सब जातियों में झगड़ा कराने का काम कांग्रेस ने किया है । ? (व्यवधान)

इस सरकार ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप ट्राइबल देकर बच्चों को शिक्षा के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट दी है । सरकार आर्थिक सशक्तिकरण में ट्राइबल उत्पादों को ई-कॉमर्स के माध्यम से बाजार में ला रही है । आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना से ट्राइबल महिलाओं को दो लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन चार परसेंट ब्याज दर पर दिया जा रहा है । इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास करना और उनको मुख्यधारा में शामिल करना है । यह सरकार संविधान की भावना के अनुरूप भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार कर रही है । मैं दो दिन से यहां सुन रहा हूं, बहुत से कांग्रेस के लीडर बोलते समय भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, जवाहर लाल नेहरू जी को पंडित नेहरू कहते हैं, वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बाबा साहेब कहना चाहिए । यह लोकप्रिय पदवी है । मैं सवाल पूछता हूं कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेते समय बाबा साहेब नाम लेने से क्यों कतराते हैं?

जब हम पिछली सरकार की बात करते हैं, विशेष रूप से कांग्रेस का शासन हमें याद आता है कि एससी और एसटी कल्याण के लिए आबंटित राशि को किस तरह से डायवर्ट किया था । कांग्रेस शासित राज्यों में ट्राइबल

कम्युनिटीज के लिए योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रही, यही कारण है कि दशकों तक यह वर्ग विकास और न्याय से वंचित रहा। ठाणे जिले में सबसे ज्यादा ट्राइबल एरियाज़ हैं। पालगढ़, दहानू, जवहर, मोखाड़ा में रोड्स नहीं थीं, पानी नहीं था फिर भी कांग्रेस ने उन लोगों से वोट लिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। माननीय मोदी जी के सत्ता में आने के बाद वहां काम शुरू हो रहा है। यहां बहुत पैसा खर्च करके राष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 के तहत जनजातीय समाज के लिए विशेष अधिकार और संसाधन सुनिश्चित किए हैं, लेकिन इस सरकार ने ही संविधान के मूल भाव को सच्चे अर्थों में लागू किया है। ?ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम? भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान की याद में बनाया गया है। इससे देश भर की आदिवासी संस्कृति को सम्मान मिला है।

यह विधेयक आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का प्रतीक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आदिवासी कल्याण की इन योजनाओं को और मजबूती से लागू करे। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर देश के जनजातीय समाज के हित में कार्य करे। धन्यवाद।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग) : धन्यवाद सर, मैं Readjustment of representation of schedule tribe (ST) in assembly constituency of state of goa, bill 2024 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और अगर समय रहेगा तो विस्तार से मैं अंत में भी विषय रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधे अपने क्षेत्र, दार्जिलिंग, तराई डुअर्स के बारे में बात करता हूं। कल ही हमने देखा कि संविधान को 75 वर्ष पूरे हुए हैं और संविधान के कारण समस्त भारत में हर-एक समुदाय को न्याय मिला है, लेकिन गोरखाओं का इतना कांट्रीब्यूशन होते हुए भी] देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा समय हो गया, फिर भी आज गोरखाओं को वह न्याय, वह सम्मान, जो उनको मिलना चाहिए था, वह आज तक प्राप्त नहीं हुआ और यह जो देरी हो रही है, उसे मैं ऐसा मानता हूं कि न्याय के बजाय उनके साथ अन्याय हो रहा है।

सर, मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा । ब्रिटिशकाल में भी जो दार्जिलिंग तराई डुअर्स का क्षेत्र होता था, वह अलग-अलग प्रशासनिक रिजीम के तहत होता था, जैसे वर्ष 1861 तक यह नॉन रेग्युलेटेड एरिया था । मैं यह इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यह सब ट्राइबल एरिया में ही लागू होता था और वर्ष 1861 से लेकर 1870 तक यह सेमी रेग्युलेटेड एरिया था । उसके बाद वर्ष 1870 से 1874 तक नॉन रेग्युलेटेड एरिया हुआ । उसके बाद वर्ष 1874 से 1990 तक शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ, फिर वर्ष 1990 से 1935 तक यह बैकवर्ड ट्राइब रहा और वर्ष 1935 से लेकर 1947 तक यह पार्शियली एक्सक्लूटेड एरिया रहा । इस तरह से अलग-अलग प्रशासनिक सेटअप के अंतर्गत दार्जिलिंग तराई डुअर्स के ये सारे स्टेट्स ट्राइबल जहां बसते थे, उन्हीं को मिलता था । उसके बाद वर्ष 1931 और 1941 के सेंसस में भी गोरखा ऐज अ हिल ट्राइब जाने जाते थे, लेकिन आजादी के बाद एबजॉर्ब एरिया के अंतर्गत वर्ष 1954 को दार्जिलिंग तराई डुअर्स को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ा गया । उसके बाद धीरे-धीरे जैसे अलग-अलग 18 सब ट्राइब्स होते थे, उसमें से 7 अलग अलग सब ट्राइब्स, जिनमें शेरपा, भूटिया, लेपचा, दुपका, योलमो, तमांग और लिंबू को एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन आज भी 11 उप जातियां गुरुंग, भुजेल, मनगर, नेवर, जोगी, खस, राय, सुनवार, थामी, यक्का और धीमल अभी भी छूटे हुए हैं ।

महोदय, मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है । इल्लीगल बांग्लादेशी आते हैं । रोहिंग्या आने के कारण हमारा जंगल, हमारा पहाड़ और हमारी संस्कृति यहां तक कि हमारी वेशभूषा पर भी इसका असर पड़ा है और इसके कारण अनेक कुरीतियां समाज के अंदर देखी जा रही हैं । आरएनए ने दो-तीन टिप्पणी अपने पत्राचार में की, मैं आपके माध्यम से आरजीआई और सरकार से पूछना चाहता हूं । आरजीआई कई बार यह कहता है कि नेपाल और भारत का इंडो-नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके अंतर्गत रेसिप्रोकल प्रावधान है । यहां भी आ सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं । मेरा आरजीआई से सीधा सवाल है कि दो देशों का आपस में संबंध या फ्रेंडशिप है, लेकिन उसका खामियाजा हमारी जनता क्यों

भुगते? उसको देखा जाना चाहिए । कई बार उनकी यह भी टिप्पणी रहती है कि यदि गोरखाओं को एसटी का दर्जा दे दिया तो इन्फ्लक्स हो जाएगा।

महोदय, मैं सरकार और आरजीआई से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने 2000 एक्ट में लिंबू तमांग को अटल जी के समय में एसटी का दर्जा दिया, वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2024 तक आप जरा आंकड़ा बता दीजिए कि कितना इनफ्लक्स नेपाल से भारत की ओर हुआ है । हमारी यह मांग संवैधानिक मांग है । बॉर्डर को सुरक्षित और ठीक रखना, बीएसएफ और सरकार का काम है । मैं चाहता हूं कि इसमें और देरी न हो और इतना ही नहीं, सिक्किम स्टेट में वर्ष 2021 में असेंबली में इसका बिल पारित किया गया, वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसको इनक्लूड करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा है । मोदी जी के नेतृत्व में 3 अलग-अलग कमेटियां इसको एसटी का दर्जा देने के लिए गठित हुई हैं । उसमें उनकी जो टिप्पणियां हैं, वे भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं । मैं चाहता हूं कि इसमें और अधिक देरी न हो और जो अधिकार गोरखाओं का है, जो हर साल हर दिन देश के लिए मरता है, जिसके कारण हमारा बॉर्डर सेफ है, जिसके कारण नॉर्थ-ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका सेफ है, मैं चाहता हूं कि उनके साथ अन्याय न हो । उनके कॉंट्रीब्यूशन को देखते हुए, दार्जिलिंग तराई डुअर का जो क्षेत्र है, उसमें एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, 50 किलोमीटर की दूरी पर चीन है । चारों तरफ हम बॉर्डर से घिरे हुए हैं और इस क्षेत्र व वहां की लोकल आबादी को मजबूत रखना व बचाए रखना देश का भी कर्तव्य है और भारत सरकार का भी कर्तव्य है । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो देरी हुई है, उसमें और देरी न हो और गुरुंग, भुजेल, मनगर, नेवार, जागी, खस, राई, सुनवार, थामी, यक्का और धीमल, इन अलग-अलग सब-ट्राइब के गोरखाओं को इनका अधिकार मिले और इसमें सिक्किम सरकार ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है । उन्होंने तो पूरी असेंबली में इसे पारित करके भेजा है । यह अधिकार उनको मिले । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । धन्यवाद ।

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Sir, at the outset, I would like to thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to put forth our party?s view on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024.

Sir, the Constitution of India has several provisions to prevent discrimination against the people belonging to the Scheduled Tribes, and protect their rights. I strongly support this Bill.

*Sir, Prime Minister Shri Narendra Modi often described Adivasis as the original habitat of the world and as heirs of culture and heritage. This is appreciable. But this is only confined to his words and actions of his government in this regard is zero. Our Adivasi regions are deprived of social and economical development. Even after 77 years of independence their progress is nil. While the whole world is moving towards development, our tribal areas are deprived of basic amenities like drinking water, roads and electricity. There are many such villages where these people do not even know about mobile phones. This is the result of negligence by respective governments. Tribals are provided special rights with the help of special laws. One such law is 1B70 which gives exclusive land rights to the tribals. But off late this law has lost its existence.

PESA law was introduced in 1996 for autonomy of tribal areas. It was mandatory to pass a resolution by the Gram Sabha to do any work in tribal areas. Even that law has lost its existence. Geo 3 was a lifeline for tribals which has provided

employment opportunities to tribals and laid a strong foundation for primary education of tribals. The areas where tribals live are geographically diverse and lies 3000 feet above sea level. They witness continuous rainfall and dense forests are unfit for human habitation. These places are often affected by dengue, malaria and chikungunya. In such areas, when teachers from plain areas come for teaching, they do not stay there for long duration and teach only for few days in a month. As a result, education standard was very bad and young tribal children were deprived of primary education. In such a scenario, GO 3 has emerged as a ray of hope, which ensured local jobs for local tribal youth. Eligible local youth were appointed as teachers in schools, where they used to teach the kids in their own language and paved a bright path for the tribal children. Such a useful GO 3 was cancelled by the Supreme Court. As a result. Due to lack of employment opportunities and due to their inability to compete with candidates from plain areas, our tribal youth are getting addicted to drugs. I request the government that even if they do not do anything new for us, at least do not withdraw the existing laws and deprive us our rights. GO 3 is like oxygen for the local youth as they get employment opportunities. I request the government that if they cannot restore GO 3, at least they may come out with some alternative arrangements for the tribal youth. Lacks of a tribal youth are dependent on this GO 3. Therefore, I request the Government that it should be restored or come up with some alternative GO. With this I conclude. Thank you.

***m16श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) :** माननीय सभापति महोदय, मैं ?गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक,

2024? की चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है । यदि अन्य राज्यों में भी जनजाति संख्या में वृद्धि हो रही है, तो क्या हम उन राज्यों के लिए भी ऐसे विधेयकों की उम्मीद कर सकते हैं? सरकार क्या कदम उठा रही है, ताकि इस न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जा सके? आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या लगातार बढ़ रही है ।

उदाहरण के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनजातीय क्षेत्रों जैसे जमुई, बांका, किशनगंज, कैमूर और रोहतास में जनजातीय संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । क्या कारण है कि अन्य राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए ऐसे विधेयक पेश नहीं किए जा रहे हैं? क्या हम यह मान लें कि यह निर्णय चुनिंदा तरीके से लिया गया है और यह किसी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा नहीं है?

प्रतिनिधित्व केवल विधान सभा की सीटों का नहीं है, यह उन समुदायों को सशक्त बनाने का विषय है, जिन्हें लंबे समय से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनजातीय जनसंख्या को पूरे देश में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जाए ।

मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूं । कैमूर और रोहतास तथा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और राबर्ट्सगंज का जो इलाका है, उन इलाकों में कई ऐसी जनजातीय समुदाय निवास कर रही थीं, आज भी निवास कर रही हैं, जो वहा रूरल कम्युनिटी (शासक वर्ग) थीं । उन मैदानी इलाकों में खरवार और चेरो वंश के लोगों ने राज किया है । जब खरवार और चेरो वंश के लोग मैदानी इलाकों में राज कर रहे थे, जब उनका राज समाप्त हुआ, लेकिन उनके समुदाय के लोग मैदानी इलाकों में ही बस गए थे। आज तक बिहार में उनको जनजाति का दर्जा न मिलने से वे अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के संकट से जूझ रहे हैं । यहां तक की गोंड, लोहार और मुसहर बिरादरी जैसी जो आदिम

जनजातियां हैं, आज तक उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलने से उन समुदायों में भारी रोष है ।

यहां तक कि कभी-कभी हिन्दी और अंग्रेजी की शब्दावली के आधार पर उनको आदिवासी समुदाय का सर्टिफिकेट तक नहीं मिलता है । गोंड और गुंड समुदाय, लोहार एवं लोहरा नामक समुदायों में केवल शाब्दिक अर्थों पर कुछ भिन्न होने से उन लोगों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बिहार में ऐसे समुदायों में भारी रोष है ।

अभी जब देश में सामाजिक-आर्थिक जनगणना नामक विषय देर से शुरू हुआ है, इसके अभाव के चलते हम लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस समुदाय की आबादी कितनी है और आबादी के अनुपात में जो आरक्षण की सीमा है, वह किस स्तर तक बढ़नी चाहिए, हमारे पास कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है । इसीलिए हम लोग भारत सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जातीय सामाजिक जनगणना का कार्य पूरा करें, जिससे आने वाले समय में आरक्षण के प्रावधानों को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर सकें ।

18.00 hrs

जब देश में एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन प्रस्तावित है । ? (व्यवधान) वन अधिकार अधिनियम, 2006 पास होने के बावजूद भी इस इलाके के आदिवासी समुदायों में अभी तक वन उपज को लेकर एक स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं । बिहार के कई ऐसे इलाके हैं, जहां जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं । हम उन लोगों के इलाकों में सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पीने के पानी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । वहीं जब उद्योग लगाने की बात होती है, खनन की बात आती है तो उन इलाकों में भारत सरकार लगातार परमिशन देने का काम करती है । यह सरकार की दोतरफा नीति है । अत: इसको बदलने की आवश्यकता है । चूंकि, मेरे पास बोलने के लिए समय बहुत कम था, तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet on Wednesday, 18th December, 2024 at 11.00 a.m.

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 18, 2024/Agrahayana 27, 1946 (Saka).

—

---

* The sign **+** marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member**.**

* Expunged as ordered by the Chair

* Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

*Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

*Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Ayes

* Voted through slip for Noes

*Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* Voted through slip for Noes

* The following Members also recorded their votes through slip:

Ayes: 220+ S/Shri Biplab Kumar Deb, Bishnu Pada Ray, Shrimati Poonamben Maadam, S/Shri Vijay Kumar Dubey, Chandubhai Chhaganbhai Shihora, Durga Das Uikey, Ananta Nayak, Anil Firojiya, Khagen Murmu, Jyotirmay Singh Mahato, Dr. Rajeev Bharadwaj, Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya, Sushri Kangna Ranaut, Shrimati Roopkumari Choudhary, Shri Nityanand Rai, Prof. S. P. Singh Baghel, Shri Tokhan Sahu, Dr. Raj Bhushan Choudhary, S/Shrimati Nimuben Jayantibhai Bambhaniya, Kamlesh Jangde, Mahima Kumari Mewar, Shri Kota Srinivasa Poojary, S/Shrimati Anita Nagarsingh Chouhan, Malvika Devi, Shri Konda Vishweshwar Reddy, Dr. Sambit Patra, S/Shri Ramesh Awasthi, Eatala Rajender, B. K. Parthasarathi, Atul Garg, Manoj Tigga, Kartick Chandra Paul, Sukanta Kumar Panigrahi, S/Shrimati Vijaylakshmi Devi, Lovely Anand, S/Shri Naba Charan Majhi, Sandipanrao Asaram Bhumare, Ravindra Dattaram Waikar, Amarsing Tisso, Dileshwar Kamait, Maddila Gurumoorthy, Dr. Gumma Thanuja Rani, Shrimati Veena Devi = 263

Noes: 149+ Prof. Sougata Ray, S/Shri Prasun Banerjee, Abu Taher Khan, Asit Kumar Mal, Shrimati Bag Mitali, S/Shri Jagadish Chandra Barma Basunia, Sudama Prasad, Sudip Bandyopadhyay, R. K. Chaudhary, Anand Bhadauria, Sanatan Pandey, Ram Shiromani Verma, Ram Prasad Chaudhary, Adv. Priya Saroj, Shri Bajrang Manohar Sonwane, Shrimati Sanjna Jatav, Dr. Prashant Yadaorao Padole, Shrimati Supriya Sule, Shri K. Radhakrishnan, Dr. Thol Thirumaavalavan, Shri Navaskani K., Dr. Amol Ramsing Kolhe, Prof. Varsha Eknath Gaikwad, S/Shri C. N Annadurai,. G. Selvam, Vishaldada Prakashbapu Patil, Murari Lal Meena, K. E. Prakash, Shrimati Geniben Nagaji

Thakor, Shri S. Supongmeren Jamir, Dr. Kalyan Vaijinathrao Kale, Dr. Prabha Mallikarjun, Shri K. Rajashekar Basavaraj Hitnal, Adv. Adoor Prakash, Shri Amrinder Singh Raja Warring, Dr. Mallu Ravi, Dr. Amar Singh, Shrimati Jyotsna Charandas Mahant, S/Shri Suresh Kumar Shetkar, Kali Charan Munda, Brijendra Singh Ola, Bhajan Lal Jatav, Shri Shahu Shahaji Chhatrapati, Imran Masood, Sasikanth Senthil, Rakesh Rathor, Tanuj Punia, Captain Viriato Fernandes, Shri Kunduru Raghuveer=198

Abst.: Nil.

* Treated as laid on the Table.

** Introduced with the recommendation of the President.

*???.*English translation of this part of speech was originally delivered in Konkani.

*???.*English translation of this part of speech was originally delivered in Konkani.

*.........*English translation of this part of speech was originally delivered in Telugu.

???. English translation of this part of speech was originally delivered in Telugu.